न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :—17/2024

G.C.M.S. संख्या 2024/81

1. सीताराम पुत्र भौरीलाल आयु 67 वर्ष
2. कानाराम पुत्र भौरीलाल आयु 60 वर्ष
3. रामकरण पुत्र भौरीलाल आयु 50 वर्ष
4. शिवचन्द पुत्र भौरीलाल आयु 58 वर्ष

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:वादीगणः—

बनाम

1. मांग्या पुत्र हरदेव
2. आनन्द पुत्र गोपाल
3. ओमप्रकाश पुत्र गोपाल
4. गुलाब देवी पत्नी जगदीश
5. जम्बूरी पत्नी गोपाल
6. महेश पुत्र गोपाल
7. शंकर पुत्र गोपाल
8. सन्तोष पुत्र गोपाल
9. सुमन पुत्री गोपाल

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

10. कैलाशी देवी पत्नी रामगोपाल जाति मीणा निवासी 86 सांगलो की ढाणी ग्राम हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
11. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
12. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
13. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कानोता जिला जयपुर।
14. केनरा बैंक शाखा बस स्टेण्ड के पास हरडी रोड कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:प्रतिवादीगणः—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—श्री कुलदीप किशोर शर्मा, एड0 वादीगण।

—:निर्णयः— दिनांकः — 27/01/2025

1. आज यह दावा तकसीम आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा दावा तकसीम आराजी का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला प.ह. रामरतनपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी के हाल आराजी खसरा संख्या 1 रकबा 3.8314 है0 की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के नाम हिस्से अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/12, वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/12, वादी संख्या 3 का हिस्सा 1/12, वादी संख्या 4 का हिस्सा 1/12 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 76/2121, प्रवितादी संख्या 3 का हिस्सा 178/10605, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 25/303, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 26/6363, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 76/2121, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 76/2121, प्रतिवादी संख्या 8 का हिस्सा 76/2121, प्रतिवादी संख्या 9 का हिस्सा 76/2121 व प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 16/315 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होकर सहखातेदारों के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन हिस्से अनुसार मनबंट के काबिज काश्त है। दिनांक 15.01.2024 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से भूमि वादग्रस्त का विधिवत विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण सहखातेदारान ने विधिवत विभाजन करवाने से इनकार कर दिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

वादीगण को भूमि में हिस्से अनुसार काश्त करने में बाधा उत्पन्न की तथा भूमि वादग्रस्त का विधिवत विभाजन करवाये बिना ही पुख्ता निर्माण करने एवं भूमि वादग्रस्त को कृषि से अकृषि करने व दीगर व्यक्तियों का बेचान कर बेदखल करने पर आमादा हो गये। इस कारण वादीगण का वादपत्र विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण सह खातेदारों के बाबत् विभाजन का डिक्री किया जाकर भूमि वादग्रस्त का विभाजन बाई मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज के मुताबिक किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदारों के खाते एवं लगान अलग-अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवदीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। वकील पक्षकार की ओर से निवेदन करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार बस्सी के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/7200 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात प्रस्ताव का अवलोकन करने पर हम पाते है कि वादग्रस्त भूमि की कुर्रेजात स्वयं तहसीलदार बस्सी द्वारा उभय पक्षकारों को सूचित कर कब्जे काश्त व पुख्ता निर्माण एवं रास्ते को ध्यान में रखते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होना स्पष्ट है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 ने सहमति स्वरूप 100 रूपये के स्टाम्प पर खसरा नम्बर 1 रकबा 3.8314 व खसरा नम्बर 2 रकबा 0.0885 है0 वाके ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला के विभाजन हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शानुसार विभाजन पर सभी काश्तकारों की सहमति स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित किये है।

4. मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 39 के खसरा संख्या 1 रकबा 3.8314 है0 व खाता संख्या 40 खसरा नम्बर 2 रकबा 0.0885 हैक्टेयर वाके ग्राम ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला प.ह. रामरतनपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज से मुतनाजा आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी होना साबित है। वादीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार बस्सी दिनांक 10.12.2024 द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट पर बहस के पश्चात् मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादीगण डिक्री फरमाने का निवेदन किया। दावा वादीगण मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाता है।

5. प्रकरण तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जाः- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। अतः अपने खाते की आराजी के संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलनः-प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः–प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करें या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा संख्या 1 रकबा 3.8314 है0 व खसरा नम्बर 2 रकबा 0.0885 है0 हरचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला प.ह. रामरतनपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.स.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	कानाराम पिता भौरीलाल हिस्सा 1/4 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा कानोता, रामकरण, शिवचन्द, सीताराम पिता भौरीलाल हिस्सा 3/4 जाति मीणा सा.देह राहिन केनरा बैंक शाखा बस स्टैण्ड के पास हरडी रोड कानोता।	1	1.3066
		कुल किता 1	कुल रकबा 1.3066
2	मांग्या पिता हरदेव जाति मीणा सा.देह राहिन केनरा बैंक शाखा बस स्टैण्ड के पास हरडी रोड कानोता।	1/1 1/4 1/15 1/19 1/16 2	0.1231 0.2041 0.2411 0.6163 0.0118 0.0624
		कुल किता 6	कुल रकबा 1.2588
3	गुलाब पत्नी जगदीश मीणा सा. देह।	1/3	0.3161
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.3161
4	जम्बूरी पत्नी गोपाल हिस्सा 186/1534, सुमन पुत्री गोपाल हिस्सा 1348/1534 जाति मीणा सा.देह।	1/5	0.1534
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.1534
5	औमप्रकाश पुत्र गोपाल जाति मीणा सा.देह।	1/6 1/7	0.0566 0.0039
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.0605
6	शंकर पुत्र गोपाल जाति मीणा सा. देह।	1/9 1/8	0.1253 0.0082
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.1335
7	संतोष पुत्र गोपाल जाति मीणा सा.देह	1/10 1/11	0.1253 0.0082
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.1335

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

8	महेश पुत्र गोपाल जाति मीणा सा. देह।	1/4 कुल किता 1	0.1335 कुल रकबा 0.1335
9	आनन्द पुत्र गोपाल जाति मीणा सा.देह।	1/12 1/13 कुल किता 2	0.0143 0.1192 कुल रकबा 0.1335
10	कैलाशी पत्नी रामगोपाल जाति मीणा सा.निवासी 86 सांगलो की ढाणी हीरावाला।	1/18 1/17 कुल किता 2	0.1904 0.0042 कुल रकबा 0.1946
11	मांग्या पुत्र हरदेव हिस्सा 479/958 राहिन केनरा बैंक शाखा बस स्टैण्ड के पास हरडी रोड कानोता, जम्बूरी पत्नी गोपाल हिस्सा 12/958, सुमन पुत्री गोपाल हिस्सा 67/958, औमप्रकाश पुत्र गोपाल हिस्सा 80/958, शंकर पुत्र गोपाल हिस्सा 80/958, संतोष पुत्र गोपाल हिस्सा 80/958, महेश पुत्र गोपाल, हिस्सा 80/958, आनन्द पुत्र गोपाल हिस्सा 80/958 जाति मीणा सा.देह।	1/2 2/1 कुल किता 2	0.0698 0.0261 कुल रकबा 00958

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी के जरिये पत्राक भू.अ./2024/7200 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

यह निर्णय आज दिनांक 27/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी, जयपुर (राज.)

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई (ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

वादीगण

1. सीताराम पुत्र भौरीलाल आयु 67 वर्ष
2. कानाराम पुत्र भौरीलाल आयु 60 वर्ष
3. रामकरण पुत्र भौरीलाल आयु 50 वर्ष
4. शिवचन्द पुत्र भौरीलाल आयु 58 वर्ष

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

1. मांग्या पुत्र हरदेव
2. आनन्द पुत्र गोपाल
3. ओमप्रकाश पुत्र गोपाल
4. गुलाब देवी पत्नी जगदीश
5. जम्बूरी पत्नी गोपाल
6. महेश पुत्र गोपाल
7. शंकर पुत्र गोपाल
8. सन्तोष पुत्र गोपाल
9. सुमन पुत्री गोपाल
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम हरचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
10. कैलाशी देवी पत्नी रामगोपाल जाति मीणा निवासी 86 सांगलो की ढाणी ग्राम हीरावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
11. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
12. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
13. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कानोता जिला जयपुर।
14. केनरा बैंक शाखा बस स्टेण्ड के पास हरडी रोड कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बस्सी, जयपुर (राज.)

दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित :–श्री कुलदीप किशोर शर्मा, एड0 वादीगण।

पर्चा डिक्री

मुकदमा न0 17/2024 जी.सी.एम.एस. न0 2024/81

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे .... वादीगण व .... प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू हमारे मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा संख्या 1 रकबा 3.8314 है0 व खसरा नम्बर 2 रकबा 0.0885 है0 हरचन्दपुरा उर्फ बाल्यावाला प.ह. रामरतनपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.स.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	कानाराम पिता भौरीलाल हिस्सा 1/4 राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा कानोता, रामकरण, शिवचन्द, सीताराम पिता भौरीलाल हिस्सा 3/4 जाति मीणा सा.देह राहिन केनरा बैंक शाखा बस स्टैण्ड के पास हरडी रोड कानोता।	1	1.3066
		कुल किता 1	कुल रकबा 1.3066
2	मांग्या पिता हरदेव जाति मीणा सा.देह राहिन केनरा बैंक शाखा	1/1 1/4	0.1231 0.2041

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

	बस स्टैण्ड के पास हरडी रोड कानोता।	1/15 1/19 1/16 2 कुल किता 6	0.2411 0.6163 0.0118 0.0624 कुल रकवा 1.2588
3	गुलाब पत्नी जगदीश मीणा सा. देह।	1/3 कुल किता 1	0.3161 कुल रकवा 0.3161
4	जम्बूरी पत्नी गोपाल हिस्सा 186/1534, सुमन पुत्री गोपाल हिस्सा 1348/1534 जाति मीणा सा.देह।	1/5 कुल किता 1	0.1534 कुल रकबा 0.1534
5	औमप्रकाश पुत्र गोपाल जाति मीणा सा.देह।	1/6 1/7 कुल किता 2	0.0566 0.0039 कुल रकबा 0.0605
6	शंकर पुत्र गोपाल जाति मीणा सा. देह।	1/9 1/8 कुल किता 2	0.1253 0.0082 कुल रकबा 0.1335
7	संतोष पुत्र गोपाल जाति मीणा सा.देह	1/10 1/11 कुल किता 2	0.1253 0.0082 कुल रकबा 0.1335
8	महेश पुत्र गोपाल जाति मीणा सा. देह।	1/4 कुल किता 1	0.1335 कुल रकबा 0.1335
9	आनन्द पुत्र गोपाल जाति मीणा सा.देह।	1/12 1/13 कुल किता 2	0.0143 0.1192 कुल रकबा 0.1335
10	कैलाशी पत्नी रामगोपाल जाति मीणा सा.निवासी 86 सांगलो की ढाणी हीरावाला।	1/18 1/17 कुल किता 2	0.1904 0.0042 कुल रकबा 0.1946
11	मांग्या पुत्र हरदेव हिस्सा 479/958 राहिन केनरा बैंक शाखा बस स्टैण्ड के पास हरडी रोड कानोता, जम्बूरी पत्नी गोपाल हिस्सा 12/958, सुमन पुत्री गोपाल हिस्सा 67/958, औमप्रकाश पुत्र गोपाल हिस्सा 80/958, शंकर पुत्र गोपाल हिस्सा 80/958, संतोष पुत्र गोपाल हिस्सा 80/958, महेश पुत्र गोपाल हिस्सा 80/958, आनन्द पुत्र गोपाल हिस्सा 80/958 जाति मीणा सा.देह।	1/2 2/1 कुल किता 2	0.0698 0.0261 कुल रकबा 00958

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) बस्सी के जरिये पंत्राक भू.अ./2024/7200 दिनांक 10.12.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 27/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी (राज.)

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर